BA Part II (Sub FEM)

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor GT
Department of Sociology
VSJ College Raj Nagar

Lecture IV

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 => भारत में घरेलू हिंसा को रोकने एवं महिला के संरक्षण एवं अधिकार दिलाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं —

1. पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है।
2. पीड़ित संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है।
3. पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की माँग कर सकती है।
4. पीड़ित भारतीय ~~दंड~~ दंड संहिता के तहत

~~क्रिमि~~ क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, इसके तहत प्रतिवादी को तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़िता को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है।

5. पीड़िता इस कानून के तहत किसी भी शख्स के लिए आवेदन कर सकती है जैसे- संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश आदि।